<u>माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जी द्वारा किसान रैली को सम्बोधन</u>

कृषि विज्ञान केन्द्र, भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली द्वारा आज दिनाँक 17 दिसम्बर, 2020 को नैनीताल रोड टोल प्लाजा, एल्डेको कालोनी मैदान पर किसान सम्मेलन में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस किसान सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र सरकार द्वारा किसान हित में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे किसानों को ऋण माफी, गन्ने के बकाया का भुगतान करके भुगतान को नियमित बनाने, किसान सम्मान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत जीरो बजट फार्मिंग, गौशाला कार्यक्रम, कृषक उत्पादक संघ तथा तीन किसान बिलों के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) -2020 के सम्बन्ध में विशेष रूप से चर्चा करते हुये बताया कि ये बिल किसानों द्वारा वर्षों से उठाई जा रही मांगों को पूरा करने के लिये ही लाया है जिसके अनुसार किसान अपने उत्पाद को देश में कहीं भी विक्रय कर सकते हैं, जिसपर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगेगा तथा किसानों को उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के अतिरिक्त व्यापारिक अवसर मिलेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी, ए॰पी॰एम॰सी॰ एक्ट को प्रभावित नहीं करता है, तथा इससे आढ़तियों, कमीशन एजेन्टों व बिचौलियों पर लगाम लगने और किसान-उपभोक्ता सीधा संपर्क होने से किसानों की आय का शेयर बढ़ जायेगा। कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक - 2020 के अनुसार अनुबंध खेती से किसानों का जोखिम कम होगा, आवश्यक संसाधनों की किसान को आपूर्ति में सुविधा होगी तथा भूमि की बिक्री, लीज या गिरवी

रखने पर पूरी तरह प्रतिबंध होने के कारण किसान के भूमि स्वामित्व पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। किसान के उत्पाद के मूल्य की गारंटी रहेगी तथा उससे अधिक मूल्य होने पर किसान को बोनस या प्रीमियम मिलेगा। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक - 2020 के अनुसार किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण किया जायेगा तथा बिचौलियों, कमीशन एजेन्टों द्वारा कृत्रिम कमी बनाकर कालाबाजारी करने पर लगाम लगाई जा सकेगी। अकाल, प्राकृतिक आपदा और अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। अतः किसान भाई किसी प्रकार के भ्रम में न आकर सरकार पर भरोसा रखें सरकार पूरी तरह से किसानों के हितो के लिये कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बरेली मण्डल के माननीय सांसदो एवं विधायको ने भी सरकार द्वारा चलाये जा रहे कृषक हित के कार्यक्रमों व कृषि बिल 2020 के संदर्भ में अपने विचार रखे।

कार्यक्रम में एक कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जिसमें कृषि विज्ञान केन्द्र, भाकृअनुप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली ने भी अपना स्टॉल लगाया। कृषि विज्ञान केन्द्र के स्टॉल पर संस्थान की पशु चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न तकनीकों, कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा विभिन्न फसलों, मत्स्य पालन, मौन पालन, एकीकृत फसल प्रणाली, किसान बिल, स्वच्छ भारत अभियान, काले गेहूँ की खेती, महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यों आदि को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में बरेली मण्डल के 10,000 से अधिक किसानों ने भागीदारी की तथा संस्थान और कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रदर्शित तकनीकों में विशेष रुचि दिखायी।